न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर , जिला ग्वालियर (म.प्र.)

अपील प्रकरण क्र0— अपील-0504/2019/छतरपुर/भू.रा. सन् 2019

1. मुक्कन तनय स्व.श्री घमण्डी विश्वकर्मा, आयु लगभग 62 वर्ष
निवासी—ग्राम बंधीकला, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) ------- अपीलार्थी

बनाम

1. रामरतन तनय श्री नन्दू बढ़ई, आयु 70 वर्ष
2. प्रेमलाल तनय श्री नन्दू बढ़ई, आयु 56 वर्ष
निवासीगण—ग्राम बंधीकला, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
3. गंगादीन तनय झुमुकलाल बढ़ई, आयु 72 वर्ष
निवासी—ग्राम बुधवारा, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा उ.प्र.
4. श्रीमती रामकुंवर पुत्री स्व.श्री घमण्डी बढ़ई पत्नी रामकुमार
निवासी— ग्राम रामपुर, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
5. श्रीमती सावित्री पुत्री स्व.श्री गलौंजी बढ़ई पत्नी स्व.श्री बारेलाल बढ़ई
निवासी— ग्राम सलैया, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
6. श्रीमती फूलवती पुत्री स्व.श्री गलौंजी बढ़ई पत्नी स्व.श्री भागीरथ बढ़ई
निवासी— ग्राम तिंदनी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर म.प्र.
7. रामसजीवन तनय स्व.श्री घमण्डी विश्वकर्मा, आयु लगभग 48 वर्ष
8. हल्के तनय स्व.श्री घमण्डी विश्वकर्मा, आयु लगभग 56 वर्ष
निवासीगण— ग्राम बंधीकला, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ---------- उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा-44(2) म.प्र.भू.रा.संहिता
अपील विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय सागर
के प्रकरण क्र.-465/अ-6/2012-13 में पारित
आदेश दिनांक 17/07/2018 से दुःखी होकर।

महोदय,

अपीलार्थी निम्नलिखित सादर विनय प्रस्तुत करता है :—

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नं.3572/1 3840 लगायत 3846, 3851 किता—09 स्थित मौजा सलैया अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति थी। अपीलार्थी एवं उत्तरवादीगण के बाबा ठकुरा के नाम मौजा सलैया एवं बंधीकला में भूमियां स्थित थीं, जिसमें अपीलार्थी एवं उत्तरवादीगण समान हक व हिस्सा के साझेदार थे। ठकुरा की मृत्यु के बाद मौजा बंधीकला की भूमियां उनके वारसान को

क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 504/2019/छतरपुर/भू.रा.

सुक्कन विरूद्ध रामरतन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
03-06-2019	अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 465/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25-04-2019 को यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अपील को निगरानी मानकर भी सुनवाई की जाये तब भी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर आयुक्त के अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप यह अपील आवेदन अग्राह्य किया जाता है। 3/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 03/6/19	